


प्रपत्र—V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वनमण्डल दक्षिण बालाघाट के परिक्षेत्र खैरलांजी के वन कक्ष पी.एफ.— 807 एवं पी.एफ. 809 के रकबा 28.02 हे. वनभूमि में मैंगनीज ओर खनिज उत्खनन कार्य हेतु मेसर्स अर्पण फेरो एलायस, बालाघाट को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: .02.2022

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार) अशोक कुमार
अपर सचिव अपर सचिव,
म.प्र. शासन वन विभाग मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)